

प्रेषक,

एल० वेंकटेश्वर लू
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बिजनौर।

राजस्व अनुभाग-१०

लखनऊ : दिनांक : १४ सितम्बर, २०१२

विषय: वर्ष २०११ में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना मद में वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-८७२/तीन-सी०आर०ए०-आपदा, दिनांक-३१ अगस्त, २०१२ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शा० संख्या-१२५६/१-१०-२०१२-३३(६२)/१२, दिनांक १४ मई, २०१२ द्वारा रु० २०.०० लाख तक के प्रस्तावों/परियोजनाओं के संबन्ध में अन्यों के साथ जनपद बिजनौर के दो कार्यों के लिए स्वीकृत/मांगी गई धनराशि रु० ३१,२७,०००/- के सापेक्ष रु० १५,६३,५००/- अवमुक्त की गई थी। इसके अनुक्रम में आपके उक्त पत्र दिनांक-३१ अगस्त, २०१२ में प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, बिजनौर के एक कार्य के लिए अवशेष धनराशि रु० ७,०८,०००/- अफजल गढ़, सिंचाई खण्ड धामपुर के एक कार्य के लिए रु० ८,५५,५००/- अर्थात् दोनों कार्यों के लिए अवशेष धनराशि रु० १५,६३,५००/- आकंलित/इंगित की गयी है। अतः प्रकरण में वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवशेष कुल धनराशि रु० १५,६३,५००/- (रूपये पन्द्रह लाख तिरसठ हजार पाँच सौ मात्र) आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१२-१३ के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-५१ के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "२२४५-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-०५-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-८००-अन्य व्यय-०३-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-४२-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. वर्ष २०११ में आई बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अहं एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य

सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

4. उक्त धनराशि का व्यय शा०प०स०-७८/पी०ए०आ०/२०१२, दिनांक २४.०१.२०१२ के साथ संलग्न पत्र संख्या-३२-७/२०११-NDM-१, दिनांक १६.०१.२०१२ में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अह मानक मदों एवं शासनादेश सं० २७८५/१-१०-२०११-१२(७३)/२००८, दिनांक १४.१०.२०११ के अनुसार किया जायेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त धनराशियां केवल उन्हीं सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनः निर्माण पर व्यय की जायेगी जो कि १६ जनवरी, २०१२ से पूर्व वर्ष २०११ की बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई है और जिनके बारे में Project Sanction की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई हैं।

5. वर्ष २०११-१२ की बाढ़/बादल फटने से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को ३० दिन व अधिकतम ४५ दिन में अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाये। आपदा राहत निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

6. कठिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा राहत निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

7. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-१६९३/१-११-२००५-रा०-११, दिनांक २० जून, २००५ द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की ०५ तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें दिनांक ३१ मार्च, २०१३ से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

8. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-५ भाग-१ के प्रस्तर-३६९ एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-४२ आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

9. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,
(एल० वेंकटेश्वर लू)
सचिव एवं राहत आयुक्त।
✓

संख्या : २२७८४ १-१०-२०१२-३३(६२) / २०१२ टी०सी०-३ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— महालेखाकार—प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद
- 2— आयुक्त मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
- 3— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 5— वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ०प्र०।
- 6— मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बिजनौर।
- 7— वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग—५।
- 8— समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग—१०/राजस्व अनुभाग—६/११, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9— निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त उ०प्र० शासन।
- 10— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर० एन० द्विवेदी)
अनु सचिव।
✓